कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सागर

(जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,सागर)

पुरानी डफरिन अस्पताल, बस स्टैण्ड के पास, जिला सागर (म.प्र.)

Phone No.- (07582) 264494, 264390, E-mail – dpmusag-mp@nic.in, cmhosag@nic.in

क्रमांक/एन.एच.एम./2020/.2713   सागर, दिनांक ..16/05/2020

//आदेश//

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल म.प्र. के पत्र क्र./एन.एच.एम./एच.आर/2020/5883, भोपाल दिनांक 23.3.2020 एवं पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/2020/288 भोपाल, दिनांक 25.03.2020 द्वारा जिले में तत्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये तीन माह के लिये पूर्णतः अस्थायी तौर पर नियुक्ति किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये थे। ततुसंबंध में प्रक्रिया के आधार पर निम्नानुसार अभ्यार्थियों का चयन वरीयता के आधार पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर राशि रूपये प्रतिमाह 60000/- में किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	चयनित अभ्यार्थी का नाम	निवास का पता
1	डॉ विपिन कुमार पटेल	इ.ड्ब्ल्यू.एस-53 भरहुत नगर सतना जिला सतना
2	डॉ. उमेश कुमार मौर्य	पोस्ट दभौरा तहसील जवा जिला रीवा

नियुक्ति की सेवा शर्तें :-

1. उक्त नियुक्ति तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत म.प्र.पब्लिक हेल्थ एक्ट 1947 धारा 10 **"Appointment Health Officer in Emergency"** के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुये की गई हैं।
2. यह सेवायें पूर्ण रूप से अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही है, अतः इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
3. यह अस्थायी नियुक्ति समयावधि आदेश जारी दिनांक से 3 माह के लिये की गयी है जो उक्त दिनांक को स्वतः ही समाप्त हो जावेगी। आवश्यकता होने पर संबंधित अभ्यार्थी की कार्यशैली एवं चरित्र के आधार पर सेवायें आगे भी बढ़ाई जा सकेगी। जिसके पूर्णतः अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को होगा।
4. उक्त मानव संसाधन की सेवायें COVID-19 Control Operation में ही ली जा सकेगी।
5. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होगा। संबंधित की सेवायें संतोषजनक या मानक स्तर की नहीं पायी जाने पर जनहित में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कभी भी बिना नोटिस के सेवायें समाप्त करने का पूर्ण करने का अधिकार होगा और इनके स्थान पर अन्य की (प्रतीक्षा सूची) नियुक्ति कर सेवायें बहाल रखने का अधिकार होगा।
6. चयनित अभ्यार्थी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को समस्त दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराकर सेवाप्रदाता कार्य दायित्व संभालेंगे।
7. अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

चयनित अभ्यार्थियों को आदेशित किया जाता है कि आदेश के 5 दिवस के अंदर अपनी उपस्थिति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर में देवें। समय सीमा में उपस्थिति न देने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अभ्यार्थी की होगी।

(कलेक्टर महोदया जिला सागर द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सागर

पृ.क्रमांक/एन.एच.एम./2020/.2713-6   सागर, दिनांक ..16/05/2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
2. मिशन संचालक (एन.एच.एम.), राज्य सहकारी कृषि भवन, 8 अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल।
3. कलेक्टर जिला सागर।
4. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (एन.एच.एम.), राज्य सहकारी कृषि भवन, 8 अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें सागर संभाग सागर।
6. डॉ. ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सागर

Letter 2018-19.docx